

कार्य निष्पादन एवं विगत पाँच वर्षों की उपलब्धियाँ



मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016 (म.प्र.)

☎: EPBX: 2466191, FAX: 0755-2463742 E-mail: it_mppcb@rediffmail.com Web: www.mppcb.nic.in

स्वागतम्



मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ई-5 अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, भोपाल

बोर्ड की स्थापना

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा 23 सितम्बर 1974 को किया गया। बोर्ड द्वारा जल तथा वायु अधिनियम की धारा 17 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत लागू नियम एवं अधिसूचनाओं में सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन किया जाता है।

बोर्ड द्वारा लागू किये जा रहे अधिनियम

केन्द्रीय अधिनियम

- ❖ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- ❖ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
- ❖ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- ❖ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986

मध्य प्रदेश शासन के अधिनियम

- ❖ मध्य प्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम 2004
- ❖ मध्य प्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) नियम 2006

अन्य अधिनियम

- ❖ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

3

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत जारी नियम एवं अधिसूचनाएँ

- ❖ परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989
- ❖ अनुवांशिकीय परिसंकटमय जीवों के विनिर्माण, उपयोग आयात, निर्यात एवं भंडारण नियम 1989
- ❖ जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1998
- ❖ फ्लोराई ऐश अधिसूचना 1999
- ❖ नगरीय टोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000
- ❖ ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000
- ❖ बैटरी (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2001 -
- ❖ ईआईए नोटिफिकेशन दिनांक 14 सितम्बर 2006
- ❖ परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन एवं सीमापार प्रचलन) नियम, 2008
- ❖ प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 2011
- ❖ ई-वेस्ट प्रबंधन एवं हथालन नियम 2011

4

बोर्ड के महत्वपूर्ण दायित्व

जल अधिनियम 1974 एवं वायु अधिनियम 1981 के तहत

- ❖ प्रदूषण नियंत्रण के लिये समग्र रूप से योजना/कार्यक्रम तैयार करना ।
- ❖ प्रदूषण से संबंधित मुद्दों पर राज्य सरकार को सलाह देना ।
- ❖ प्रदूषण नियंत्रण संबंधी जानकारी एकत्र कर उसको प्रदर्शित करना ।
- ❖ शिक्षण एवं प्रशिक्षण में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से समन्वय करना ।
- ❖ अधिनियमों के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार निरीक्षण करना ।
- ❖ राज्य की स्थिति के अनुरूप मानक निर्धारित अथवा संशोधित करना ।
- ❖ निस्त्राव को कृषि के लिये उपयोग करने बावत् तकनीक विकसित करना ।
- ❖ भूमि पर निस्त्राव का उपयोग व उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु दक्ष प्रक्रिया विकसित करना ।

5

मॉनिटरिंग लक्ष्य प्राप्ति की उपलब्धियों

विगत पाँच वर्षों में मॉनिटरिंग लक्ष्य की पूर्ति

- ❖ एन.ए.एम.पी. योजना के तहत 14 शहरों के आवासीय, औद्योगिक और व्यवसायिक क्षेत्रों में 36 स्टेशन पर वर्ष में 104 बार परिवेशीय वायु मापन का लक्ष्य पूर्ण किया ।
- ❖ परिवेशीय वायु मापन के 14449 एवं औद्योगिक स्रोतों के 4138 नमूनों का लक्ष्य पूर्ण किया ।
- ❖ वाहन मापन के 76817 नमूनों की जाँच का लक्ष्य पूर्ण किया ।
- ❖ औद्योगिक, व्यवसायिक, आवासीय एवं शांत क्षेत्रों में 27895 नमूना जाँच का लक्ष्य पूर्ण किया ।
- ❖ एन.डब्ल्यू.एम.पी. योजना के तहत 5375 नमूना जाँच का लक्ष्य पूर्ण किया ।
- ❖ जी.ई.एम.एस. योजना के तहत 05 स्थानों पर नियमित मॉनिटरिंग पूर्ण किया ।
- ❖ प्राकृतिक जल के 20245 जल नमूनों की जाँच का लक्ष्य पूर्ण किया ।
- ❖ औद्योगिक निस्त्राव के 22670 जल नमूनों की जाँच का लक्ष्य पूर्ण किया ।

6

मॉनिटरिंग लक्ष्य प्राप्ति की उपलब्धियाँ

योजना	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
राष्ट्रीय वायु मॉनिटरिंग प्रोग्राम (एन ए एच पी)	10 शहर	10 शहर	10 शहर	10 शहर	10 शहर	10 शहर	10 शहर	10 शहर	14 शहर	14 शहर
विश्व पर्यावरणीय प्रबंधन कार्यक्रम (जेम्स)	05 स्थान	05 स्थान	05 स्थान	05 स्थान	05 स्थान	05 स्थान	05 स्थान	05 स्थान	05 स्थान	05 स्थान
एन डब्ल्यू एन पी (मीनर्स)	750	752	750	696	1490	1059	1490	1204	1490	1554
प्राकृतिक जल स्रोत नमूने	2197	3516	2474	3038	2810	3515	2909	4652	3313	4694
जैवमैट्रिक निस्काय नमूने	2958	3645	5055	5542	4020	4878	3635	4141	4036	4664
जैवमैट्रिक स्रोत परिवर्तनीय वायु नमूने	2768	2468*	4254	2650*	3678	2448*	3601	3257*	3740	2373*
विमानवादी से लिये नमूने	722	760	843	796*	641	653	814	987	962	720*
राष्ट्रीय परिवर्तनीय वायु नमूने	197	273	344	242*	290	220*	229	391	293	129*
गहन उत्सर्जन	13080	14432	13997	14609	14880	16526	14880	16240	14760	15007
घट्टि प्रार मापन	4320	4608	4896	6046	5184	5750	5184	6019	5472	6102

* उपरोक्त बन्ध होने/जाते नमूना उपलब्ध नहीं होने/पार्श्व की कारण मॉनिटरिंग नहीं होने से लक्ष्य पूर्ति में कमी रही।

प्राकृतिक जल नमूनों की जाँच

नदी, तालाब/झील/बाँस, नाले व भूगत जल मॉनिटरिंग

वर्ष	नदी	तालाब/झील/बाँस	नाले	भूगत जल	कुल नमूने
2011-12	66	75	69	203	3838
2012-13	66	76	73	201	3515
2013-14	66	70	78	222	3475
2014-15	74	91	92	254	3560




प्रदेश की नदियों की गुणवत्ता (भारतीय मानक 2296)

प्रमुख नदियाँ	कुल लम्बाई (लगभग)	जल गुणवत्ता	प्रभावित क्षेत्र	निस्त्राव
नर्मदा	कुल 1312 कि.मी. जिसमें से 1079 कि.मी. म.प्र. में	ए एवं बी	डिंडोरी और आँमकारेश्वर (बी)	घरेलू निस्त्राव
चम्बल	960 कि.मी.	ए से ई	नागदा (ई)	औद्योगिक (पेसिम) एवं घरेलू निस्त्राव
सोन	784 कि.मी.	ए से डी	भतुराघाट, अमलाई तथा दशरतघाट, शहडोल (डी)	ओ.पी.एम. उद्योग का निस्त्राव
बेतवा	कुल 590 कि.मी. जिसमें से 232 मध्यप्रदेश में तथा 358 उत्तर प्रदेश में	ए से ई	नयापुरा मंडीदीप, सतलापुर औद्योगिक क्षेत्र, चरण तीर्थ, विदिशा (ई)	औद्योगिक एवं घरेलू निस्त्राव
क्षिप्रा	195 कि.मी.	बी से ई	उज्जैन और देवास (डी, ई)	घरेलू निस्त्राव
खान	16.16 कि.मी.	डी एवं ई	इंदौर, एवं उज्जैन (ई)	घरेलू निस्त्राव
तापी	724 कि.मी.	ए एवं बी	हथनूर एवं वीथलघाट, बुरहानपुर (बी)	नेपा नगर व बुरहानपुर निस्त्राव
टोन्स	311 कि.मी.	बी एवं सी	चकघाट, रीवा (सी)	घरेलू निस्त्राव


वाहन प्रदूषण मापन की स्थिति

■ जाँच किये गये वाहनो की संख्या

■ मानक से अधिक पाये गये वाहन की संख्या



टीप : प्रतिगम वीथ से वार्षिक पाये गये वाहनो का आकलन भारतीय वाहनो के प्रदूषण मापन के अनुसार किया गया है।



प्रदेश के उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थिति

उद्योगों की श्रेणी	उद्योग जहाँ प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की आवश्यकता है	उद्योग जिनमें आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण हैं	उद्योग जिनमें आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं हैं	उद्योग जिनमें प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में सुधार/मरम्मत की आवश्यकता है
आर -17	127	127	—	15
आर -54	5542	5296	186	45
नारंगी	2557	2398	219	16
हरा	2011	1944	67	15

12

विशेष उपलब्धियों

देश में प्रथम बोर्ड

- ❖ वर्ष 2012 में क्षेत्रीय प्रयोगशाला जबलपुर द्वारा एनएबीएल मान्यता प्राप्त की गई उसके बाद भोपाल, इन्दौर, उज्जैन एवं ग्वालियर प्रयोगशाला द्वारा भी एनएबीएल मान्यता प्राप्त की गई ।
- ❖ अधिनियमों में निर्धारित अधिकतम समय-सीमा 120 दिवस के परिप्रेक्ष्य में केवल 45 दिवस में सम्मति आवेदनों का निराकरण ।
- ❖ सरलीकृत प्रक्रिया के अन्तर्गत 587 प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों के लिये ऑन लाईन सम्मति की व्यवस्था ।
- ❖ सम्मति प्रबंधन सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल करना ।
- ❖ ई-वेस्ट प्रबंधन के तहत सूचीकरण/चिन्हीकरण ।
- ❖ प्लास्टिक अपशिष्ट को सीमेंट क्लिन में सहदहन (को-प्रोसेसिंग) की प्रक्रिया प्रारंभ कर अगस्त 2015 तक 12318.77 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का निष्पादन ।

13

विशेष उपलब्धियों

- ❖ उद्योगों से उत्सर्जित व्यर्थ ऊष्मा के उपयोग से बिरला कार्पोरेशन सतना एवं त्रिमूला इण्डस्ट्रीज सिंगरौली में व्यर्थ ऊष्मा आधारित विद्युत संयंत्र स्थापना हेतु प्रोत्साहन ।
- ❖ परिसंकटमय अपशिष्ट को सीमेंट क्लिन में सहदहन हेतु प्रोत्साहन ।
- ❖ ऑन लाईन सम्मति प्रबंधन प्रक्रिया प्रारंभ करने में गुजरात के बाद देश का दूसरा अग्रणी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ।

14

विशेष उपलब्धियों

- ❖ सम्मति प्रकरणों का पारदर्शी निराकरण हेतु तकनीकी प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया लागू करने वाला देश का एकमात्र बोर्ड ।
- ❖ तात्कालिक एवं सर्वसम्मति से निर्णय लेने हेतु एक प्रभावशाली प्रक्रिया ।
- ❖ प्रक्रिया को निम्नलिखित संस्थानों द्वारा सराहा गया है:-
 - * सीएजी
 - * भारत सरकार का योजना आयोग
 - * भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
 - * केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
 - * उद्योग एवं अन्य स्टेक होल्डर्स

15

आपात अनुकिया केन्द्र

- ❖ भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1993 में प्राकृतिक/रासायनिक दुर्घटनाओं के निवारण एवं उनसे निपटने के लिये विशेष तैयारी हेतु भोपाल सहित देश में चार स्थानों पर **आपात अनुकिया केन्द्रों** की स्थापना की गई ।
- ❖ भोपाल केन्द्र द्वारा रसायन सुरक्षा के संबंध में प्रदेश के औद्योगिक स्थानों देवास, छिंदवाड़ा, धार, इन्दौर, विजयपुर, बीना, पीथमपुर, मण्डीदीप, नागदा, सतना, मालनपुर आदि में केपेसिटी बिल्डिंग के कार्यक्रम आयोजित किये गये ।
- ❖ केन्द्र स्थापना के समय सदस्य उद्योगों की संख्या 86 से बढ़कर 341 हो गई है ।
- ❖ केन्द्र के माध्यम से 1100 से अधिक औद्योगिक सुरक्षा विशेषज्ञ प्रशिक्षित हुये हैं ।
- ❖ गुजरात में भूकम्प, उड़ीसा में चक्रवात, अरब सागर में ऑयल स्पेलेज आदि के समय प्रशासकीय संस्थाओं को तकनीकी सलाह देकर सहयोग प्रदान किया गया ।

16

व्यापार में सुगमता (ईज ऑफ डुईंग बिजनेस)

बोर्ड द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :-

- ❖ बोर्ड में ऑन लाईन बेव आधारित आवेदन प्रस्तुतीकरण की सुविधा एवं भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता समाप्त ।
- ❖ ऑन लाईन सम्मति आवेदन ट्रेकिंग सिस्टम की सुविधा उद्योगों को उपलब्ध ।
- ❖ स्वप्रमाणित दस्तावेजों की स्वीकारिता ।
- ❖ एसएमएस एलर्ट के साथ ऑन लाईन दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा ।
- ❖ इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क भुगतान की सुविधा ।
- ❖ ऑन लाईन जानकारी प्रस्तुत करने हेतु 24X7 सुविधा प्रारंभ ।

17

व्यापार में सुगमता (ईज ऑफ डुईंग बिजनेस)

- ❖ उद्योगों को 5/10/15 वर्ष की अवधि हेतु सम्मति नवीनीकरण की सुविधा ।
- ❖ औचक निरीक्षण/रैंडम मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू ।
- ❖ सभी अधिनियमों के अन्तर्गत एकल निरीक्षण/मॉनिटरिंग ।
- ❖ डिजिटल हस्ताक्षर के साथ सम्मति/नवीनीकरण/प्राधिकार डाऊनलोड की सुविधा

18

अधोसंरचना विकास

- ❖ कार्यालयों का क्षेत्रीय कार्यालय में उन्नयन :
 - ❖ शहडोल
 - ❖ सिंगरौली
 - ❖ कटनी
 - ❖ छिंदवाड़ा
- ❖ क्षेत्रीय कार्यालय भवन निर्माण :
 - ❖ सतना
 - ❖ सिंगरौली
 - ❖ शहडोल
- ❖ नवीन भवन का निर्माण :
 - ❖ मुख्यालय भवन विस्तार
 - ❖ क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल

19

अधोसंरचना विकास

- ❖ पर्यावरण परिसर में पर्यावरण सतर्कता केन्द्र की स्थापना ।
- ❖ क्षेत्रीय कार्यालय भवन निर्माण हेतु रीवा तथा कटनी में भूमि का आवंटन ।
- ❖ क्षेत्रीय प्रयोगशाला/मॉनिटरिंग केन्द्र मण्डीदीप की स्थापना हेतु भूमि का आवंटन ।
- ❖ क्षेत्रीय कार्यालय भवन छिंदवाड़ा हेतु भूमि आवंटन हेतु कार्यवाही प्रक्रिया में ।

20

नर्मदा प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्यवाही

- ❖ वर्ष 2010 से सघन सर्वेक्षण, निरीक्षण एवं जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग प्रारंभ ।
- ❖ वर्ष 2011 में नर्मदा प्रदूषण शमन समिति की स्थापना ।
- ❖ नदी के दोनों तरफ वृक्षारोपण हेतु भूमि चिन्हित करने बावत् डिजिटल मैप बनाया ।
- ❖ नदी के 21 बिन्दुओं पर नियमित रूप से मासिक मॉनिटरिंग प्रारंभ कर बिन्दुओं की संख्या 31 तक बढ़ाई ।
- ❖ नदी में मिलने वाले सीवेज नालों का इंटरसेप्शन एवं डाईवर्सन ।
- ❖ अमरकंटक एवं जबलपुर में नगरीय निकाय के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना
- ❖ उद्योगों में निस्त्राव उपचार हेतु स्थापित ई.टी.पी. का उन्नयन कराकर शून्य निस्त्राव की स्थिति लागू कराना ।
- ❖ नगरीय ठोस अपशिष्ट से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम (अमरकंटक, डिण्डीरी, जबलपुर, होशांगाबाद, ओमकारेश्वर, महेश्वर व धरमपुरी) ।

21

नर्मदा प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्यवाही

(राज्य स्तर पर अन्तर्विभागीय प्रयास)

- ❖ अन्तर्विभागीय नर्मदा प्रदूषण नियंत्रण समिति का गठन ।
- ❖ प्रदूषण नियंत्रण हेतु शार्ट टर्म एवं लॉग टर्म योजना बनाने हेतु फालोअप मीटिंग
- ❖ सीवेज तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में स्थानीय निकाय के अधिकारियों हेतु परिचर्चा/सेमिनार का आयोजन ।
- ❖ नदी व तालाबों के किनारे मूर्ति विसर्जन कुण्डों का निर्माण स्थानीय निकायों के माध्यम से ।
- ❖ प्रदूषण हेतु दोषी नगरीय निकायों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही ।

22

नर्मदा प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्यवाही

(सीएसआर के अन्तर्गत प्रयास)

- ❖ उदगम स्थल अमरकंटक में फाउन्टेन, फिल्टर प्लांट की स्थापना एवं बगीचे का विकास ।
- ❖ खंदारी नाला जबलपुर में इन-सिटू बॉयो रिमेडियेशन/डिमोस्ट्रेशन प्लांट की स्थापना ।
- ❖ भेड़ाघाट में सीवेज नालों का इंटरसेप्शन एवं डाईवर्सन ।
- ❖ ओमकारेश्वर व घरमपुरी में बॉयो रिमेडियेशन/डिमोस्ट्रेशन प्लांट स्थापना हेतु ट्राई पार्टी अनुबंध, मण्डला, डिण्डौरी, बरमान, महेश्वर और मण्डलेश्वर में प्रस्ताव पार्सप लाईन में हैं ।
- ❖ नदी के किनारों पर 38 उद्योगों से 32 लाख वृक्षारोपण हेतु सहमति ।

23

नर्मदा प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्यवाही

जन-जागृति हेतु अभियान

- ❖ नर्मदा नदी के आस-पास के शहरों में क्षेत्रीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक के पश्चात् रैली व जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन ।
- ❖ होर्डिंग, कॉसन बोर्ड, डिस्प्ले, बैनर स्थापना तथा पम्पलेट्स का वितरण ।
- ❖ वर्कशॉप, इन्ट्रेशन मीटिंग, प्रदर्शनी और नुक्कड़ नाटक आदि ।
- ❖ मूर्ति बनाने वालों व स्थापना करने वालों के लिये प्रशिक्षण ।
- ❖ प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पब्लिक अपील ।
- ❖ विद्यार्थियों के लिये निबंध व ड्राइंग प्रतियोगिताएँ ।
- ❖ संस्कारों को पर्यावरण प्रिय बनाने व कम प्रदूषणकारी विधि अपनाने हेतु धार्मिक मंचों, पुजारियों आदि के साथ परिचर्चाएँ ।
- ❖ महत्वपूर्ण घाटों पर प्रदूषण नियंत्रण संबंधी बॉल साईटिंग ।

24

नर्मदा जयंती में एक टन कचरा निकालकर किया डिस्पोजल

साफ-सफाई कर लोगों को दिया संदेश

राजशेखर/अमरकंटक

नर्मदा जयंती के अवसर पर सीनियरिटीय जन जागृति एवं कार्यक्रमों के लिए मध्य प्रदेश नियंत्रण बोर्ड द्वारा वारिका समिति अनुसार 26 जनवरी को सम्पूर्ण नदी बंधे लंबाई में एक साथ सभी तटों पर प्रदूषण मापन संबंधी कार्यवाही के लिए रैली निकालकर स्फूर्ति कराई गई।

कार्यक्रम का अगुआन मध्य प्रदेश नियंत्रण बोर्ड राजशेखर द्वारा आयोजित किया गया है। वैज्ञानिक डॉ. एसबी तिवारी ने बताया कि अमरकंटक एवं इंदौर में विगत 25 नर्मदा नदी के तटों पर प्रदूषण मापन के लिए 25 जनवरी से 27 जनवरी तक 36 एवं 18 जाल जाले एवं जाल कर निरीक्षण किया गया और समुदाय



लंबाई लंबी से कचरा सफाई करती रैली।

नेते समूह पर्यावरणीय मित्रों का भीतिक आकलन कर रिपोर्ट बनाई गई।

गठित उप समितियों से आलोक कुमार जैन क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. अरुणराजिंद्र क्षेत्रीय अधिकारी सहित डॉ. एसबी तिवारी, डॉ. एसबी तिवारी, कोटपारटेल, गंगल बेरा

सहित कई अधिकारी कार्यवाही भी-सूट रहे। मध्य प्रदेश नियंत्रण बोर्ड द्वारा नर्मदा नदी के तटों की सफाई करवाई का कार्य संबंधी संस्था प्रथम नर्मदा के साथ आयोजित कर लक्ष्य 1 टन कचरा निकाल कर डिस्पोजल किया।

(पत्रिका रिपोर्टर) 27

काकाकार कर्ता

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अध्यक्ष ने रैली को हरी झंडी देकर किया रवाना

नर्मदा में नहीं मिलेगा गंदा पानी, बनेंगे ग्रीनब्रिज

भास्कर संवाददाता | ग्नेरवा

गंगा-यमुना नदी से जिन प्रदूषण है, उससे नर्मदा नदी का पानी 90 प्रतिशत शुद्धता लिए है। यह अच्छी बात है। नर्मदा नदी की शुद्धता को महजना होगा। यह बात मध्य प्रदेश बोर्ड अगुआ नर्मदाप्रसाद शुक्ला ने रानिकर को परबसरी से चर्च में कही। नर्मदा की शुद्धता के लिए उद्योग स्थल अमरकंटक से लेकर अनेक स्थानों पर परीक्षण किया है। रिपोर्ट के आधार पर अणु परीक्षण जल्द ही बंद सरकार को भेजेंगे।

उन्होंने बताया नर्मदा की प्रदूषण होने से रोकने के लिए विभिन्न स्थानों पर ग्रीन ब्रिज बनाया जायेगा। यह ब्रिज शहर के गंदे पानी को सीधे नर्मदा में मिलाने से रोकेगा। शहर का गंदे पानी ट्रीटमेंट होकर ही नर्मदा में जायेगा।



प्रदूषण रोकने के लिए लक्ष्य से संकल्प लिया।

इससे प्रदूषण रोका जा सकेगा। अमरपुर में ग्रीन ब्रिज बनाए है। आगे मुम्बई के लिए अरुणजन जारी है। बोर्ड अगुआ शुक्ला ने ग्रीन ब्रिज के बारे में कहा, वे परराज्य ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं। इसमें बिजली व अन्य मशीनरी का उपयोग नहीं होता। यह

गंगा व यमुना के किनारे एगो ट्रीटमेंट प्लांटों की अपेक्षा कम खर्च करते होते हैं। यह बायोगैसीमिल व मिनिमिल ट्रीटमेंट प्लांट हैं। कम खर्च आने से नर्मदा किनारे की नगर पालिका व नगर परिषद ब्रिज स्थापित कर सकती हैं।

बच्चों ने जन-जागरण रैली से दिया संदेश



समिति युद्ध आवाज मात्र पौरुष से जन-जागरण रैली निकाली गई। मध्य प्रदेश नियंत्रण बोर्ड अगुआ वी. सुभाष ने अमरकंटक से नर्मदा में बंधे प्रदूषण को रोकने की संज्ञा की। वी. सुभाष ने बताया जनजागृति से ही बंधित रहे परदूषण को सुकत जा सकता है। रैली में साथ पतिष्य अमरकंटक परमेश्वरदास महाशय, कोटपारटो विधायक सुजित, वी.ओ. दामोदर लाल, अमरकंटक जे.पी. लक्ष्मण दूरे, विजय प्रदेव, लक्ष्मण चट्टियार, लक्ष्मण केकर उल्लेखित थे।

मध्यप्रदेश

दैनिक भास्कर 2, खालिदा, गुरुवार, 4 जून, 2015

नर्मदा का जल फिर ए ग्रेड में, प्रदूषण बोर्ड ने जारी की रैंक

आधा दर्जन स्थानों से लिए गए थे पानी के सैंपल

भास्कर न्यूज | होशंगाबाद

जनवरी के बाद नर्मदा जल में प्रदूषण कम पाया जा रहा है। नर्मदा जल जनवरी में ए ग्रेड में आया था। इसके पहले सी ग्रेड में नर्मदा जल था। यानी नर्मदा में प्रदूषण मिलने की मात्रा कम हो रही है। मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस बार भी सेठानीघाट, कोरीघाट, एसपीएम नाले के पास से, शाहगंज, सांडिया

सहित अन्य जगहों से सैंपल लिए थे। इसकी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में नर्मदा जल ए ग्रेड में पाया गया है। नर्मदा में मिल रहे नालों के बाद भी इस बार भी ए ग्रेड में पाया गया है। यानी प्रदूषण कम हो रहा है। एसपीएम के पास इसलिए ए ग्रेड आया है कि यहाँ 6 माह पहले रिसाइक्लिंग प्लांट लगाया गया है। इस प्लांट के कारण यहाँ रसायनयुक्त पानी नर्मदा में नहीं जा रहा है। इस तरह नर्मदा को प्रदूषण से बचाने के लिए हाल ही नया द्वारा बाहनों के धोने पर रोक, साबुन का उपयोग कम करने, गंदे कपड़े नहीं डालने आदि के काम किए हैं।

खबरें | होशंगाबाद, ओंकारेश्वर, महेस्वर और मंडोलेस्वर पर श्रेणी 'अ' आए

नर्मदा में कम हुआ प्रदूषण अब पी भी सकेंगे पानी

भास्कर न्यूज | होशंगाबाद, बाराक

नर्मदा नदी में आषाढ आने आने के साथ ही प्रदूषण कम हो रहा है। इस नियंत्रण बोर्ड ने होशंगाबाद, ओंकारेश्वर, महेस्वर और मंडोलेस्वर में नदी के जल की ए ग्रेड में पाया है। यानी नर्मदा में प्रदूषण मिलने की मात्रा कम हो रही है। मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस बार भी सेठानीघाट, कोरीघाट, एसपीएम नाले के पास से, शाहगंज, सांडिया



होशंगाबाद का नर्मदा नदी

नदी घाटी के बसाव के दौरान ही नदी टूटने

ओंकारेश्वर, महेस्वर और मंडोलेस्वर में नदी का पानी नर्मदा में जाने से पहले ही नदी में प्रदूषण होने के बाद यह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे ए ग्रेड में पाया है। यानी नर्मदा में प्रदूषण मिलने की मात्रा कम हो रही है। मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस बार भी सेठानीघाट, कोरीघाट, एसपीएम नाले के पास से, शाहगंज, सांडिया

यह होना चाहिये

- ए ग्रेड में नर्मदा का पानी प्रदूषण कम हो गया है। इसे नियंत्रण बोर्ड ने जारी है।
- नर्मदा नदी में प्रदूषण कम हो रहा है। इसका कारण नदी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी है।
- नर्मदा नदी में प्रदूषण कम हो रहा है। इसका कारण नदी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी है।

पढ़ने से स्थिति सुधरी

नर्मदा के पानी में प्रदूषण कम हो गया है। इसे नियंत्रण बोर्ड ने जारी है। नर्मदा नदी में प्रदूषण कम हो रहा है। इसका कारण नदी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी है।

